

55

बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाइज कारपोरेशन लिमिटेड, बक्सर।

श्री राघवेन्द्र सिंह, (भा0प्र0से0) जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष जिला परिवहन समिति, बक्सर की अध्यक्षता में दिनांक 20.08.2019 को सम्पन्न जिला परिवहन समिति की आहूत बैठक से संबंधित कार्यवाही।

उपस्थिति:-यथापंजी।

कार्यवाही-


बिहार राज्य खाद्य निगम मुख्यालय, पटना के पत्रांक 4929 दिनांक 08.05.2019, पत्रांक 8914 दिनांक 29.08.2018 एवं नई परिवहन नीति के पत्रांक 2648 दिनांक 16.03.2018, पत्रांक 2649 दिनांक 16.03.2018 के आलोक में बक्सर जिला में DSD के 2 (दो) रिक्त पदों के विरुद्ध परिवहन हथालन-सह-आपूर्ति अभिकर्ता की नियुक्ति हेतु आज दिनांक 20.08.2019 को जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष जिला परिवहन समिति, बक्सर की अध्यक्षता में 02 (दो) परिवहन हथालन-सह-आपूर्ति अभिकर्ताओं (DSD) के चयन हेतु जिला परिवहन समिति की बैठक आयोजित की गई।


1. जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष के समक्ष दिनांक 25.07.19 को e-tendring के माध्यम से प्राप्त निविदा की तकनीकी भाग ऑनलाईन खोला गया। निविदा हेतु कुल पाँच (05) निविदादाताओं के द्वारा निविदा पत्र की खरीद की गई थी, जिसमें श्री अवनीश कुमार, श्री भानु प्रताप सिंह एवं मे0 डर्बी मरकेनटाईल प्रा0 लि0 के द्वारा ऑनलाईन निविदा डाली गई। e-tendring के माध्यम से ऑनलाईन निविदादाताओं द्वारा समर्पित किये गये सभी कागजातों को Download कर एवं उपस्थित सभी निविदादाताओं से प्राप्त Hard Copy का सत्यापन निविदाशर्त एवं चेकलिस्ट के अनुसार किया गया। तकनीकी रूप से सभी निविदाशर्त पुरा नहीं करने के कारण मे0 डर्बी मरकेनटाईल प्रा0 लि0 को ऑनलाईन (अयोग्य) Disqualify घोषित कर दिया गया।
2. श्री अवनीश कुमार एवं श्री भानु प्रताप सिंह द्वारा तकनीकी निविदाशर्त में सफल होने के उपरांत दिनांक 29.07.2019 को जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष जिला परिवहन समिति, बक्सर के समक्ष निविदा का वित्तीय भाग को खोला गया। जिसमें श्री अवनीश कुमार द्वारा मो0-38.35 रूपया प्रति क्वींटल एवं श्री भानु प्रताप सिंह द्वारा मो0-38.35 रूपया प्रति क्वींटल की दर से परिवहन कार्य करने हेतु वित्तीय निविदा दिये हैं। इस प्रकार निविदा के वित्तीय भाग से श्री अवनीश कुमार एवं श्री भानु प्रताप सिंह के द्वारा मो0-38.35 रूपया प्रति क्वींटल की दर को L1 चिन्हित किया गया। उक्त दर आस-पास के जिलों से काफी अधिक है, जिसके आलोक में दोनों ही निविदादाताओं से दर कम करने का अनुरोध किया गया। उनके द्वारा स्वेच्छा से मो0-37.50 रूपया प्रति क्वींटल का दर सूचित किया गया।


इस जिला में परिवहन हथालन-सह-आपूर्ति अभिकर्ता के कुल दो (02) रिक्त पदों हेतु निविदा प्रकाशित की गई थी और दोनों निविदादाताओं की निविदा तकनीकी एवं वित्तीय रूप से स्वीकृत किये गये। श्री अवनीश कुमार एवं श्री भानु प्रताप सिंह के द्वारा परिवहन हथालन-सह-आपूर्ति कार्य मो0-37.50 रूपया प्रति क्वींटल में करने हेतु लिखित सहमति दी गई है। उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्व सम्मति से उक्त दर पर कार्य करने की सहमति व्यक्त की गई। जिला परिवहन समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में राज्य खाद्य निगम बक्सर में परिवहन हथालन-सह-आपूर्ति अभिकर्ता के रूप में मो0-37.50 रूपया प्रति क्वींटल की दर पर कार्य करने हेतु दोनों सफल निविदादाताओं द्वारा लिखित रूप में सहमति देने के उपरान्त सर्वसम्मति से नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है।


3. जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, बक्सर-सह-सदस्य सचिव जिला परिवहन समिति को निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वैध (नव नियुक्त परिवहन हथालन-सह-आपूर्ति अभिकर्ता) निविदादाताओं से निविदा शर्त के अनुसार सभी वांछित कागजात प्राप्त कर 10 (दस) दिनों के अन्दर नियमानुसार एकरारनामा करते हुए कार्यादेश निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे। कार्यादेश निर्गत करने में नव नियुक्त परिवहन अभिकर्ताओं के बीच समानुपातिक रूप से क्षेत्र एवं खाद्यान्न के मात्रा के आवंटन को ध्यान में रखेंगे। जिला परिवहन समिति द्वारा सर्वसम्मति से पूर्व में एकरारनामित परिवहन अभिकर्ताओं की नई अनुमोदित दर 37.50 रू0/क्वी0 की दर से माह-अगस्त 2019 का नये दर पर भुगतान किया जाएगा। इसका अनुपालन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बक्सर को सुनिश्चित करने का निदेश भी दिया गया।
4. जिला परिवहन समिति के सचिव-सह-जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बक्सर द्वारा चयनित (DSD) परिवहन अभिकर्ताओं का प्रखण्डवार गोदाम निर्धारित किये जाने का अनुरोध किया गया। इस संबंध में जिला परिवहन समिति के द्वारा सर्वसम्मति से गोदामवार समानुपातिक खाद्यान्न का उठाव हेतु TPDS गोदाम निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया तथा इस संबंध में सचिव-सह-जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बक्सर को विस्तृत कार्यादेश निर्गत करने का निदेश भी परिवहन समिति द्वारा दिया गया।


अंत में जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला परिवहन समिति, बक्सर के द्वारा सभी उपस्थित पदाधिकारियों, सदस्यों एवं निविदादाताओं को धन्यवाद देते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।


24/8/19
जिला प्रबंधक,
रा0खा0नि0, बक्सर
-सह-सदस्य
सचिव
जि0परि0 समिति


24/8/19
जिला परिवहन
पदा0, -सह-
सदस्य जि0
परिवहन समिति


24/8/19
अपर सहायक,
बक्सर-सह-
सदस्य
जि0परि0 समिति



24/8/19
उप विकास
आयुक्त, बक्सर
-सह-उपाध्यक्ष
जि0परि0 समिति



24/8/19
जिला पदाधिकारी,
बक्सर-सह-अध्यक्ष
जिला परिवहन
समिति


ज्ञापांक 837 दिनांक 26.08.19


- प्रतिलिपि:- श्री अवनीश कुमार एवं श्री भानु प्रताप सिंह (नव नियुक्त परिवहन हथालन-सह-आपूर्ति अभिकर्ता) को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि 10 (दस) दिनों के अन्दर एकरारनामा से संबंधित सभी वांछनीय कागजात जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बक्सर को हस्तगत कराना सुनिश्चित करे ताकि एकरारनामा से संबंधित आगे की कार्यवाही ससमय पूरी की जा सके।
- प्रतिलिपि :- सभी परिवहन अभिकर्ता मेन्स/डी0एस0डी0, जिला बक्सर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- अध्यक्ष/सचिव, फेयर्स प्राईस डीलर एशोसिएशन, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सभी अंचलाधिकारी/सभी प्रभारी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/सभी आपूर्ति निरीक्षक/सभी सहायक गोदाम प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, जिला बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बक्सर-सह-सदस्य सचिव, जिला परिवहन समिति, बक्सर को निर्देश दिया जाता है कि वैध (नव नियुक्त परिवहन हथालन-सह-आपूर्ति अभिकर्ता) निविदादाताओं से नियमानुसार सभी वांछित कागजात प्राप्त कर एकरारनामा करना सुनिश्चित करेंगे।


- प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, बक्सर/आईटी0 मैनेजर, बक्सर को जिला के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बक्सर/जिला परिवहन पदाधिकारी, बक्सर/अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर/डुमरांव/सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी, जिला बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- उप विकास आयुक्त, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- अपर समाहर्ता, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- उप महाप्रबंधक, परिवहन, निगम मुख्यालय, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।
- प्रतिलिपि :- आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।


24/8/19
जिला प्रबंधक,
रा0खा0नि0, बक्सर
-सह-सदस्य
सचिव
जि0परि0 समिति


24.8.19
जिला परिवहन
पदा0, -सह-
सदस्य जि0
परिवहन समिति


24/8/19
अपर समाहर्ता,
बक्सर-सह-
सदस्य
जि0परि0 समिति


24/8/19
उप विकास
आयुक्त, बक्सर
-सह-उपाध्यक्ष
जि0परि0 समिति


24/08/19
जिला पदाधिकारी,
बक्सर-सह-अध्यक्ष
जिला परिवहन
समिति